NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com

पत्रांक सं० – NPST/117/2026 दिनांक – 26.08.2026

सेवा में,

1. **श्रीमान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून**
   ईमेल – rajendrak.rev@uk.gov.in
2. **श्रीमान महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून**
   ईमेल – dgeduuk@gmail.com
3. **श्रीमान महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड**
   ईमेल – infodirector.uk@gmail.com
4. **श्रीमान जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार**
   ईमेल – dm-har-ua@nic.in
5. **श्रीमान जिलाधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर**
   ईमेल – dm-usn-ua@nic.in
6. **श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद हरिद्वार**
   ईमेल – deohar-edu-uk@nic.in

विषय – बिना किसी स्पष्ट कानूनी प्रावधान, शासनादेश अथवा सक्षम उच्चाधिकारी के आदेश के शासकीय विद्यालय एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा मीडिया/पत्रकारों की रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित दर्शाने, आपराधिक कार्रवाई का भय उत्पन्न करने वाली सूचनाएं प्रदर्शित करने पर तत्काल रोक तथा प्रदेशव्यापी एस०ओ०पी० जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट एक लोकहित के उद्देश्य से कार्यरत संस्थान है, जिसका प्रमुख उद्देश्य संविधान के मूल्यों, प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही, विधि के शासन तथा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सार्वजनिक संस्थानों में मीडिया एवं पत्रकारों की वैध जनहित रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली एक गंभीर प्रशासनिक प्रवृत्ति आपके संज्ञान में लायी जा रही है।

संस्थान द्वारा दिनांक 25/08/2026 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, शान्तरशाह, विकासखण्ड बहादराबाद, जनपद हरिद्वार में किये गये अवलोकन के दौरान विद्यालय की बाहरी दीवार पर मीडिया के सम्बन्ध में चेतावनी अंकित पायी गयी, जिसमें बिना अनुमति विद्यालय में प्रवेश/रिकॉर्डिंग को आपराधिक अतिचार, बच्चों की पहचान/रिकॉर्डिंग को POCSO Act एवं Juvenile Justice Act तथा कथित जबरदस्ती को FIR, मानहानि एवं अन्य कार्रवाई से जोड़कर प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार उपजिलाधिकारी, गदरपुर के कार्यालय में प्रदर्शित सूचना में उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार कार्यालय के भीतर किसी भी प्रकार के लाइव प्रसारण को पूर्णतः प्रतिबंधित बताते हुए बिना अनुमति लाइव प्रसारण/वीडियोग्राफी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है। संलग्न फोटो उक्त स्थिति को स्वयं स्पष्ट करते हैं।

अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संस्थान के संज्ञान में ऐसा कोई शासनादेश, परिपत्र, विभागीय आदेश अथवा सक्षम उच्चाधिकारी का निर्देश नहीं है जिसके द्वारा उक्त विद्यालय अथवा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय को मीडिया की सामान्य जनहित रिपोर्टिंग को अपने स्तर से प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान किया गया हो। **ऐसी स्थिति में यह गंभीर प्रश्न उत्पन्न होता है कि संबंधित विद्यालय एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने किस सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, किस आदेश तथा किस वैधानिक शक्ति के आधार पर स्वयं ही ऐसी निषेधात्मक व्यवस्था घोषित कर दी? अधीनस्थ सार्वजनिक अधिकारी बिना सक्षम प्राधिकार के अपनी ओर से ऐसी समानांतर व्यवस्था निर्मित नहीं कर सकते जिसका प्रभाव प्रेस की स्वतंत्रता एवं नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर पड़े।**

POCSO Act, Juvenile Justice Act, BNS अथवा BNSS में बच्चों की पहचान, निजता, सुरक्षा तथा संवेदनशील आपराधिक मामलों के संबंध में लागू विशिष्ट वैधानिक प्रतिबंधों का पालन निःसंदेह अनिवार्य है; परन्तु ऐसे विशिष्ट प्रावधानों को सामान्य मीडिया रिपोर्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में प्रस्तुत करना अलग विषय है। इसी प्रकार आपराधिक अतिचार से संबंधित कानून की अपनी आवश्यक वैधानिक शर्तें हैं; मात्र किसी पत्रकार द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषय की रिपोर्टिंग अथवा रिकॉर्डिंग को स्वतः आपराधिक अतिचार घोषित नहीं किया जा सकता। कानून में जिस विशिष्ट आचरण को निषिद्ध किया गया है, उसी सीमा तक उसका प्रयोग होना चाहिए; उसके नाम पर ऐसी व्यापक चेतावनी निर्मित करना, जिससे सामान्य एवं वैध पत्रकारिता भी आपराधिक कार्रवाई के भय में आ जाए, गंभीर चिंता का विषय है।

मीडिया एवं प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण अंग है। स्वतंत्र मीडिया लोकतांत्रिक शासन में सार्वजनिक संस्थानों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रमुख माध्यम है। ऐसे में सार्वजनिक संस्थानों की दीवारों पर FIR, आपराधिक अतिचार, POCSO Act, Juvenile Justice Act, मानहानि एवं जेल जैसी कार्रवाई का उल्लेख इस प्रकार किया जाना कि पत्रकार वैध जनहित रिपोर्टिंग से भी भयभीत हों, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल एवं भयकारी

प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। बच्चों की सुरक्षा और निजता का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन इन वैधानिक संरक्षणों को सार्वजनिक संस्थानों को मीडिया की निगरानी से पृथक करने के साधन के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

यदि इस विषय में सक्षम उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया जाता और ऐसी प्रथा को जारी रहने दिया जाता है, तो इसका गंभीर परिणाम यह होगा कि बिना किसी स्पष्ट कानूनी अधिकार के सार्वजनिक अधिकारी स्वयं यह निर्धारित करने लगेंगे कि मीडिया किस सार्वजनिक संस्थान में क्या रिपोर्ट या रिकॉर्ड कर सकता है। यह स्थिति मनमानी एवं असमान प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म दे सकती है। एक संस्थान में वैध रिपोर्टिंग की अनुमति हो और दूसरे संस्थान में किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा स्वयं बनाई गयी चेतावनी के आधार पर उसी गतिविधि को आपराधिक कार्रवाई से जोड़ दिया जाए, तो कानून के समान और एकरूप अनुप्रयोग का उद्देश्य ही प्रभावित होगा।

इसका एक और अत्यन्त गंभीर सार्वजनिक हित का पहलू है। यदि सार्वजनिक कार्यालय अथवा संस्था के परिसर में मीडिया रिपोर्टिंग को संबंधित अधिकारी की अनुमति पर ही पूर्णतः निर्भर कर दिया जाता है, तो भ्रष्टाचार, रिश्वत की मांग, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, कदाचार, अधिकारों के उल्लंघन अथवा अन्य किसी गंभीर अनियमितता की घटना उसी परिसर में घटित होने की स्थिति में उसका दृश्य साक्ष्य रिकॉर्ड होकर जनता के सामने आने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। **जिस स्वतंत्र मीडिया रिपोर्टिंग से किसी सार्वजनिक संस्था की जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है, उसी रिपोर्टिंग को स्थानीय अधिकारी की अनुमति के अधीन कर देना वस्तुतः उस अधिकारी को यह निर्धारित करने की शक्ति दे सकता है कि उसके अपने कार्यालय के भीतर की कौन–सी घटना जनता के सामने आए और कौन–सी नहीं। ऐसी स्थिति पारदर्शी प्रशासन की मूल अवधारणा के प्रतिकूल होगी।**

लोकतंत्र में किसी शासकीय विद्यालय, तहसील, उपजिलाधिकारी कार्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक संस्था को केवल एक स्थानीय अधिकारी की स्वनिर्मित सूचना के आधार पर मीडिया की वैध निगरानी से मुक्त क्षेत्र में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि किसी विशेष स्थान, अभिलेख, बच्चे की पहचान, जांच, सुरक्षा अथवा अन्य संवेदनशील विषय पर विधि द्वारा प्रतिबंध है तो उसका पूर्ण पालन होना चाहिए; परन्तु विशिष्ट वैधानिक प्रतिबंध और सम्पूर्ण सार्वजनिक रिपोर्टिंग पर सामान्य प्रतिबंध दो अलग–अलग विषय हैं। कानून की सीमाओं को स्पष्ट करने के स्थान पर आपराधिक धाराओं के नाम का ऐसा व्यापक प्रयोग, जिससे मीडिया समुदाय में भय उत्पन्न हो, स्वीकार्य प्रशासनिक परंपरा नहीं बननी चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, शान्तरशाह एवं उपजिलाधिकारी, गदरपुर कार्यालय में प्रदर्शित उक्त सूचनाओं की तत्काल विभागीय एवं विधिक जांच कराकर संबंधित अधिकारियों से यह स्पष्ट कराया जाए कि ये प्रतिबंध किस वैधानिक प्रावधान, शासनादेश अथवा सक्षम उच्चाधिकारी के आदेश के अंतर्गत लगाए गये

हैं। यदि ऐसा कोई सक्षम आदेश/प्राधिकार उपलब्ध नहीं है तो उक्त स्वनिर्मित एवं अतिव्यापक चेतावनियों को तत्काल हटवाकर आवश्यक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

साथ ही उत्तराखण्ड राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों, तहसीलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए स्पष्ट एवं एकरूप प्रदेशव्यापी एस०ओ०पी०/दिशा–निर्देश जारी किये जाएं कि कोई अधिकारी अपने स्तर से बिना स्पष्ट कानूनी प्राधिकार, सक्षम शासनादेश अथवा न्यायिक आदेश के मीडिया/पत्रकारों की वैध जनहित रिपोर्टिंग को सामान्य रूप से प्रतिबंधित न करे और न ही आपराधिक कानूनों का उल्लेख इस प्रकार करे जिससे वैध पत्रकारिता के विरुद्ध अनावश्यक भय उत्पन्न हो। उक्त एस०ओ०पी० में बच्चों की पहचान, निजता, सुरक्षा, संवेदनशील अभिलेखों एवं विधि द्वारा संरक्षित हितों की सुरक्षा और स्वतंत्र जनहित पत्रकारिता – दोनों की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की जाएं।

प्रेस की स्वतंत्रता केवल मीडिया संस्थानों अथवा पत्रकारों का विषय नहीं है; यह जनता के यह जानने के अधिकार से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है कि उसके सार्वजनिक संस्थान किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। यदि सार्वजनिक संस्थानों के भीतर होने वाली वैध जनहित की घटनाओं को देखने, रिकॉर्ड करने और सामने लाने पर बिना विधिक प्राधिकार भय का वातावरण बनाया जाता है, तो उसका अंतिम प्रभाव मीडिया से अधिक सार्वजनिक जवाबदेही पर पड़ेगा। अतः प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप कर ऐसी प्रथाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए तथा की गयी कार्रवाई से संस्थान को भी अवगत कराया जाए।

भवदीय,

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)

<u>संलग्नक</u> :– उपरोक्तानुसार।

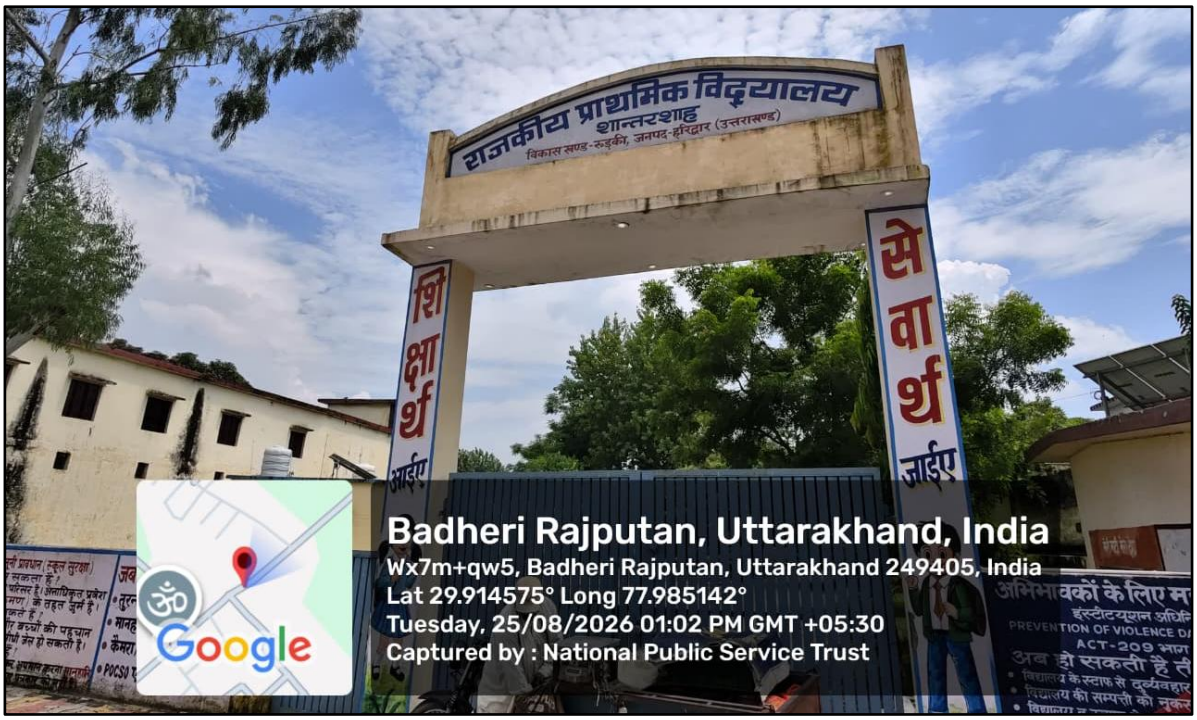
राजकीय प्राथमिक विद्यालय
शान्तरशाह
विकास खण्ड-रुड़की, जनपद-हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
शिक्षार्थ आईए
सेवार्थ जाईए
Badheri Rajputan, Uttarakhand, India
Wx7m+qw5, Badheri Rajputan, Uttarakhand 249405, India
Lat 29.914575° Long 77.985142°
Tuesday, 25/08/2026 01:02 PM GMT +05:30
Captured by : National Public Service Trust

विधालय परिसर में मीडिया नियम संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान (स्कूल सुरक्षा)
? क्या पत्रकार बिना अनुमति स्कूल में घुस सकता है ?
जी नहीं। स्कूल सार्वजनिक मैदान नहीं, संरक्षित परिसर है। अनाधिकृत प्रवेश और रिकॉर्डिंग IPC धारा 441 (आपराधिक अतिक्रमण) के तहत जुर्म है।
? क्या बच्चों या शिक्षकों का विडियो बना सकते हैं ?
बिल्कुल नहीं। शिक्षक की निजता (अनुच्छेद 21) और बच्चों की पहचान छिपाना (POCSO & JJ ACT) अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर सीधी जेल हो सकती है।
? क्या कैमरे पर "टेस्ट" पर "परीक्षा" ले सकते हैं ?
असंभव। बिना सहमति जबरन सवाल पूछना, विडियो बना कर अपमान करना मानहानि (DEFAMATION) है। माइक लेकर शिक्षक की योग्यता परखने का अधिकार पत्रकार को नहीं है।
जबरदस्ती करने पर कार्रवाई
• तुरन्त पुलिस FIR दर्ज होगी।
• मानहानि का मुकदमा (CASE)।
• कैमरा/उपकरण जब्त होगा।
• POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई।
Badheri Rajputan, Uttarakhand, India
Wx7m+qw5, Badheri Rajputan, Uttarakhand 249405, India
Lat 29.914661° Long 77.985156°
Tuesday, 25/08/2026 01:02 PM GMT +05:30
Captured by : National Public Service Trust

डा. अमृता शर्मा
पी.सी.एस
उपजिलाधिकारी गदरपुर
सूचना
समस्त सम्मानित आम जनमानस एवं पत्रकार बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं तहसीलदार कार्यालय के भीतर किसी भी प्रकार का लाइव प्रसारण करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। यदि उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं तहसीलदार कार्यालय के भीतर बिना अनुमति के लाइव प्रसारण/वीडियोग्राफी करते संज्ञान में आता है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
आज्ञा से
उप जिलाधिकारी, गदरपुर।